


07-6-22


वाडीयागठा की ओर से प्राप्त पत्र पेश किये जाने पर उक्त पत्रावली रिफाई से ललब की गई। वाडीयागठा ने कथन किया कि वाद के प्रमुख कारण के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिए वाडीयागठा उक्त वाद को आगे न पलाकर उसी स्टेज पर विराम करना चाहती है। वाडीयागठा ने अमीनता वाद पेश करनी की आशुमति नहीं चाही है। वाडीयागठा को खुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाडीयागठा स्वयं हाजिर अदालत आई। वाडीयागठा की पहचान उनके अधिवक्ता मौ०

अ. नि.



शिव कंवर

अ. नि.




सतीश

म. सु. कंवर

सतीश कंवर

पहचानकर्ता

CSK

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहमद हुकम में
	<p> जाफर खान की है। अतः वाडीभागण का डा० पत्र स्वीकार कर 023 R। CPC के प्रावधानों के अन्तर्गत वाडीभा- गण को दस्तगत वाद प्रमादरित (विज्ञा) करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाडीभागण का वाद विज्ञा किया जाता है। मिसल डज नम्बर से काम होकर दारिजल एफ्लर हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी </p>	